Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश

पत्र क्र. 154 / रेरा / 2017 भोपाल, दिनांक 22 जून, 2017

प्रति,

श्री अरूण तिवारी,
अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश क्रेडाई
भोपाल

विषय–: प्रचलित परियोजनाओं के संबंध में भारत सरकार का स्पष्टीकरण।

––00––

प्रचलित परियोजनाओं के संबंध में भारत सरकार ने 12 जून, 2017 को NAREDCO को संबोधित एक स्पष्टीकरण पत्र भेजा है। जिसकी पुष्टि आज दिनांक को दूरभाष पर भारत सरकार के अधिकारी द्वारा की गई। (पत्र प्रतिलिपि संलग्न)

पत्र में स्पष्ट किया गया कि प्रचलित परियोजनाएँ (On Going Project), अर्थात् ऐसी परियोजनाएँ जिनमें 30 अप्रैल, 2017 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है, को 31 जुलाई, 2017 तक पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का समय अवश्य दिया गया है, किन्तु अधिनियम की धारा 3 (1) में उल्लेखित बिना पंजीयन के विज्ञापन, मार्केटिंग एवं बिक्री पर प्रतिबंध उन पर भी लागू होता है।

अतः कृपया आप अपने समस्त सदस्यों को तत्काल अवगत करावे कि :–

1. 31 जुलाई, 2017 के पूर्व प्रचलित परियोजनाओं के पंजीयन हेतु वे अवश्य आवेदन प्रस्तुत करें;
2. पंजीयन होने तक, भले ही परियोजनाएँ प्रचलन में है, उनमें किसी भी तरह का विज्ञापन, मार्केटिंग एवं बिक्री कार्य न करें। ऐसा करना अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

प्राधिकरण द्वारा आदेशित।

(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
सचिव

Rera Bhavan, Arera Hill, Main Road No. 1, Bhopal - 462011
Phone: 0755 - 2559853
Email: chairman.rera@mp.gov.in
Website: www.rera.mp.gov.in

No. O-17034/101/2016-H/EFS-**3018177**
Government of India
Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation
Housing Section
******

Nirman Bhawan, New Delhi-110011
Dated **the 12th June, 2017**

To,

Sh. NAREDCO <naredco@naredco.in>

Sub: RERA: Clarification regarding Advertisement and Sale in Ongoing Projects.

Sir,

I am directed to inform that the Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation has received your representation (Email) letter dated 14.05.2017 on the subject mentioned above.

2. As you are aware, in order to safeguard the interest of buyers towards ensuring timely completion of projects and also towards ensuring fast track adjudication of disputes, Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation has piloted the Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016. Section 3(1) of the Act prohibits advertisement for all projects (ongoing/future) without registration with the Real Estate Regulalory. This provision has come into effect from 01st May, 2017.

Yours faithfully,

(Mahesh Kumar Singh)
Section Officer (Housing)
Tele.: 2306 1039

2257